पंजीयन क्र. ग्वा. सं. 2943 दिनांक 02.09.1995
आईएसओ 9001:2008, 14001:2004, ओएचएसएएस 18001:2007

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर
A++ प्रत्यायन विश्वविद्यालय मानी गई संस्था
(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9–14/92–यू.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)
भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior
A++ NAAC Accreditated Deemed to be University
(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No. F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)
Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक:CS/Auction File/29/2017-18/ 73(4) **दिनांक..** 30/01/21

नीलामी के नियम एवं शर्तें

1. नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व संबंधित सामग्री के लॉट्स का अवलोकन कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।
2. आवेदक के फर्म होने की स्थिति में पंजीयन की प्रति तथा प्राइवेट व्यक्ति होने पर फोटोयुक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
3. संस्थान द्वारा निर्धारित नीलामी प्रपत्र नियम एवं शर्तें संस्थान की वेबसाईट से डाउनलोड कर उसे पूर्ण रूपेण भरकर तथा जमानत राशि के रूप में राशि रूपये 60,000/- का बैंक ड्राफ्ट कुलसचिव, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर के नाम से देय हो एवं नीलामी प्रपत्र में वांछित दस्तावेज संलग्न कर दिनांक 11.02.2021 की दोपहर 2:00 बजे तक प्रशासन के भूतल पर रखे निविदा बॉक्स में डालकर नीलामी प्रक्रिया में भाग लिया जा सकता है। जमानत राशि को नगद रूप में संस्थान के लेखा विभाग में जमा कर रसीद को आवेदन के साथ भी प्रस्तुत किया जा सकता है।
4. नीलामी की प्रक्रिया बोली के माध्यम से सभी लॉट्स की अलग-अलग न की जाकर एक साथ (समग्र रूप से) दिनांक 12.02.2021 को सुबह 11:00 बजे आयोजित की जायेगी। नीलामी दिवस को अगर कोई शासकीय अवकाश या अन्य किसी कारण से कार्यालय बन्द रहता है तो दूसरे दिन उक्त समय पर नीलामी की जायेगी।
5. नीलामी बोली के निर्धारित समय और दिनांक 12.02.2021 को सुबह 11:00 बजे केवल पात्र बोलीकारों की डाक सहायक/प्रतिनिधि के साथ संस्थान परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जावेगी तथा प्रवेश द्वार पर प्रवेश हेतु उनको अपने किसी डाक मूल फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज (पेन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर कार्ड) जमा करना होगा, जो कि प्रवेश द्वार पर वापसी के समय प्रदाय किया जावेगा। प्रवेश द्वार पर ही उनको पंजीयन क्रमांक प्रदाय किया जावेगा।
6. नीलामी प्रक्रिया में उच्चतम बोलीकार की बोली को स्वीकृत की जाकर सफल बोलीकार घोषित किया जावेगा तथा उनके विफल होने पर जमानत राशि पूरी तरह राजसात कर दूसरे उच्चतर बोलीकार को सफल बोलीकार घोषित किया जावेगा। उनके भी विफल होने पर उनकी जमानत राशि राजसात की जाकर तीसरे उच्चतर को सफल बोलीकार घोषित किया जावेगा।
7. सफल बोलीकार को उक्त टूट-फूटा सामान/स्क्रेप जहॉ है, जैसा है, जिस स्थान पर है, वहां से अपने स्वयं के व्यय पर कार्य आदेश प्रदाय होने के 15 दिवस की समयावधि में पूर्ण राशि जमा कर संस्थान से ले जाने का प्रबंध करना होगा।

शक्ति नगर, मेला रोड, ग्वालियर – 474002 (म.प्र.), दूरभाष: 0751–4000902, 917, फैक्स: 0751–4000992
Shakti Nagar, Mela Road, Gwalior – 474002 (M.P.), Phone: 0751-4000902, 917, Fax: 0751-4000992
email: registrarlnipe@edu.in, website: www.lnipe.edu.in

8. सफल बोलीकार को नीलामी की स्वीकृत की गई बोली/राशि का कम से कम 25 प्रतिशत नीलामी दिनांक को ही संस्थान के लेखा विभाग में नगद रूप में अथवा बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा अन्यथा पूर्व में जमा जमानत राशि राजसात कर ली जायेगी। तत्पश्चात् ही कार्य आदेश जारी किया जायेगा।
9. सफल बोलीकार को नीलामी की स्वीकृत की गई बोली/राशि में जी.एस.टी. की राशि अतिरिक्त नियमानुसार देय होगी।
10. कार्य आदेश प्रदाय करने के पश्चात् तीन दिन की समयावधि में उक्त उनुपयोगी सामान की शेष कीमत (रूपये 60,000/- का समायोजन करते हुये) जमा करनी होगी अन्यथा संस्थान द्वारा पूर्व में जमा की गई समस्त राशि राजसात कर ली जावेगी।
11. उक्त टूट/फूटा सामान संस्थान द्वारा गठित समिति के देखरेख में सफल बोलीकार द्वारा स्वयं के व्यय/व्यवस्था पर ले जाया जायेगा तथा समिति की देखरेख में ही उक्त सामान को उठाया जायेगा।
12. संस्थान परिसर से बाहर जाने वाला उपरोक्त वर्णित सामान जिस वाहन में लोड होकर जायेगा उसका वाहन क्रमांक अंकित कर नियमानुसार गेट पास संस्थान के कुलसचिव अथवा उपकुलसचिव द्वारा अधिकृत अधिकारी कर्मचारी द्वारा जारी किया जायेगा। बिना गेट पास तथा समिति की उपस्थिति, के कोई भी सामान बाहर नहीं ले जा सकेगा।
13. संस्थान के कुलपति महोदय संपूर्ण नीलामी प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं, जिसमें किसी की कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी।
14. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र, ग्वालियर रहेगा।

ए.एस. साजवान
20/01/2021
(प्रो. ए.एस. साजवान)
प्रभारी कुलसचिव